


54/2010
राजस्व चार्ज/आवेदन संख्याअनमान जोगाराग/टीकमाराग

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर भुरटिया पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 7/6/18 को अटल सेवा केन्द्र/पंचायत घर भुरटिया पर पत्रावली पेश हो।



सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर


7-6-18

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र भुरटिया पर पेश हुई। वादी 01 व 03 उपस्थित। दोनों पक्षों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा नहीं होने तथा प्रकरण मेरिट पर निस्तारित नहीं होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 14.8.18 को पेश हो।

4-20-11-17





कोटाराग


सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर


14/08/18

पत्रावली पेश हुई। आज वकील हड़ताल पर होने से पत्रावली इल्लज होकर दिनांक 15/11/18 को


सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

15.7.18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकन उपस्थिति मात्र न्य दिनसमा आम चुनाव में व्यस्त है। अतः पत्रावली इल्लज होकर तारीख 12-2-18 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

13/02/19

वकुलाम फरीकन उपरा नकील प्रतिकारी
द्वारा उत्तर रिप्लाइड दिनांक 04.04.18
कारण चार्ज उपक्षमन होने पर उभय
पक्षों की कलस हुनी गइल नकील
प्रतिकारी का कथन है कि चार्ज-



सं 295 का 45 वर्ष पूर्व हेतु
 ही चक्रा है तबले काम सुकाम की
 कमील काग द्वारा प्रस्तुत नही की
 निर्धारित अर्थ में काम सुकाम
 की सूची प्रस्तुत नही करने नही
 हेतु को सूचना न्यायालय की नही
 सिधे भाके से वाड उपशान ही चक्रा
 ही लिहाजा कागजात का वाड अर्थ
 योग्य है

कमील कागजात द्वारा कोशेन का
 अर्थ प्रस्तुत नही किया अर्थ न ही
 कोई सुकाम सुकाम कारण प्रकट किया

अतः प्रकट नही प्रकट 4711 नही

के अदले कागजात इस बात तबले कर्म
 पर पहुँचे है कि काग सं 295
 का हेतुन को की सूचना कमील
 कागजात द्वारा निर्धारित समय में न्यायालय
 को उपलब्ध नही करवाते है वाड
 उपशान ही चक्रा है

अतः कोशेन प्रकटवादीवादी

अतः अतः भाके यह कोशेन उपशान
 कोशेन किया जाता है प्रकटवादी कोशेन
 कोशेन कोशेन दाखिल दफ्तर को

सहस्यक कलकटर
 (SDO) बाइमेर